समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर केम्प भोपाल

निगरानी-3354/2018/भोपाल/भू.रा.

निगरानी प्रकरण कमांक /पीबीआर/ 2018

तेजकुलपाल सिंह, आयु लगभग 62 वर्ष
आत्मज स्व. श्री गुरबक्श सिंह,
निवासी 19 नादिर कालोनी,
श्यामला हिल्स भोपाल .... आवेदक

विरूद्ध

1. श्री पवन कुमार जैन
   आत्मज श्री सुमेर चन्द जैन
2. श्रीमति बबीता जैन
   पत्नी श्री पवन कुमार जैन
   निवासीगण 30 राजदेव कालोनी,
   बैरसिया रोड, भोपाल .... अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 18.12.2017 एवं संपूर्ण सीमांकन प्रकरण संबंधी प्रकिया पारित व्दारा माननीय राजस्व निरीक्षक नजूल एम.पी.नगर, भोपाल अंतर्गत प्रकरण कमांक 12/अ–12/17–18 पक्षकारगण पवन कुमार जैन व अन्य ।</u>

आवेदक की ओर से निवेदन है कि :–

यह कि प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मिसरोद तहसील हुजूर जिला भोपाल मे आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि खसरा कमांक 136 के अंशभाग के रूप मे विद्यमान है जिसमे खसरे मे बटान काफी पूर्व से स्वीकृत है किंतु नक्शे मे कोई बटान स्वीकृत नही हुआ है एवं संपूर्ण खसरा कमांक 136 एकचक के रूप मे विद्यमान है। इस भूमि का सीमांकन कराने हेतु अनावेदकगण ने एक आवेदनपत्र माननीय तहसीलदार महोदय नजूल एम.पी.नगर, वृत भोपाल के समक्ष प्रेषित किया था जिसमे उन्होने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन कर रिपोर्ट प्रेषित करने के लिये निर्देशित किया था। राजस्व निरीक्षक व्दारा इस संबंध मे दिनांक 18.12.2017 को नोटिस जारी किये गये किंतु अनावेदक कमांक एक के अतिरिक्त अन्य किसी को नोटिस तामील नही हुआ यहॉ तक कि सह खातेदार होने के बाद भी आवेदक को भी नोटिस तामील नही कराया गया एवं बिना नोटिस तामील कराये दिनांक 18.12.2017 को सीमांकन कार्य किया जाना दर्शित करते हुए पंचनामा एवं प्रतिवेदन तैयार किया गया एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा आदेश दिनांक 29.11.2017 के पालन मे तहसीलदार महोदय को प्रतिवेदन प्रेषित न करते हुए स्वंय ही प्रकरण मे कार्यवाही शेष न होना दर्शाते हुए

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3354/2018/भोपाल/भू-रा. जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार नजूल एम.पी. नगर वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-12-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नजूल एम.पी. नगर वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	